



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को 04 वर्ष के कारावास व रुपए 2000/- के अर्थदंड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत अ0सं0- 157/2017 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मुखिया सिंह उर्फ रोहित सिंह पुत्र इन्द्रपाल सिंह नि0 पन्धरी थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को 04 वर्ष के कारावास व ₹2,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



डीजीसी श्री राजेश
कुमार शुक्ला



विवेचक
उ0नि0 श्री रवि
बैजाल



पैरोकार थाना सुमेरपुर
का0 जगत सिंह